फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

र्थी : श्री भंवरसिंह बनाम विपक्षी : श्री भगवानलाल व अन्य

किस्म मुकदमा – 128 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 202/22

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 08.04.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 3 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। पर्याप्त अवसर दिये जा चुके हैं। बावजुद विपक्षी संख्या 1, 3 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। अतः विपक्षी संख्या 1, 3 के जवाब का अवसर बंद किया जाता है। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 2, 4, 5 के सम्मन रजिस्टर्ड एडी से करा कर रसीद व डिलीवरी सर्टिफीकेट पेश किये गये। डिलीवरी सर्टिफीकेट से विपक्षी संख्या 2, 4, 5 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 2, 4, 5 अनुपस्थित है। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2, 4,, 5 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये जाते हैं। विपक्षी संख्या 6 द्वारा जवाब पेश नहीं किया। विपक्षी संख्या 6 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में बहस सुनी गई। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर आये दिन विवाद होता हैं जिससे प्रार्थीगण अपनी भूमि का विकास सही ढंग से नहीं कर पा रहें जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया।

हमने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र पर आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्थरगढी किये जाने से प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमाकंन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतित होता हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा कलवल पटवार हल्का वरणी, तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078–81 की परिशिष्ट (क) की खाता संख्या नया 224 की आराजी न. 814 रकबा 0.2200 है. भूमि व परिशिष्ट (ख) की खाता संख्या नया 324 की आराजी संख्या 815 रकबा 0.5000 है. भूमि की चारो दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढ़ी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/– एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावें। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर [illegible] फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.07.03 14:23:05 IST
Reason: SelfAttested